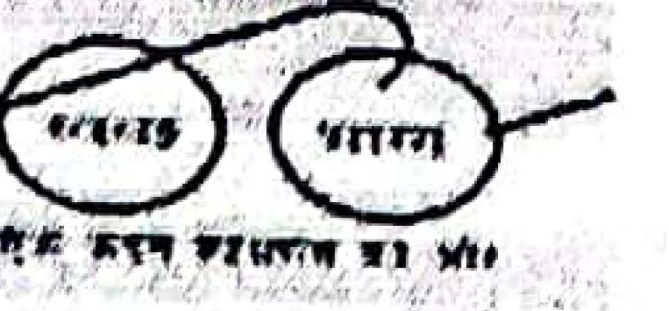




कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग
(पुरानी तहसीली के पास) संभाग सागर (म.प्र.)



email:- eepwdnhsagar767@gmail.com Phone No:- 07582- 222206 Fax No. - 07582-222206

पत्र क्रमांक / 2852 / कार्य / 2022-23,
प्रति,

सागर दिनांक 03/10/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म0प्र0)

- विषय:- कटनी जिले मे रा0रा0क्र0-43 (विस्तार) गुलगंज-अगागंज-पधई-कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 0.98 हे0 वन भूमि मे कार्य करने एवं वृक्षों के विदोहन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत ।
- सन्दर्भ:- 1 भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक-6-MPB021/2019-BHO Date 21-06-2021
- 2- आपका पत्र क्रमांक-I-5/869/2019/10-11/2064 Dated 29-06-2021
- 3- वन मण्डलाधिकारी कटनी का पृ0क्र0/मा0चि0/3735/कटनी दिनांक 06.07.2021
- 4- इस कार्यालय का पत्र क्र0-1963/रा0रा0/ व0ले0लि0/सागर दिनांक 27.08.2021
- 5- इस कार्यालय का पत्र क्र0-3002/तक0/ 2021-22/सागर दिनांक 29.10.2021
- 6- इस कार्यालय का पत्र क्र0-1448/रा0रा0/ व0ले0लि0/2022-23 सागर दिनांक 01.06.2022
- 7- वन मण्डलाधिकारी कटनी का पृ0क्र0-मा0चि0/3402 कटनी दिनांक 10.06.2022
- 8- इस कार्यालय का पत्र क्र0-2427/कार्य/2022-23 सागर दिनांक 15.09.2022
- 9- इस कार्यालय का पत्र क्र0-2469 /कार्य/2022-23 सागर दिनांक 19.09.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रस्ताव क्र0-FP/MP/ROAD/35242/2018 कटनी जिले में प्रस्तावित रा0रा0 क्र0-43 (विस्तार) के चौड़ीकरण हेतु 0.98 हे0 भूमि के व्यवर्तन की सन्दर्भित पत्र क्र0 (1) के द्वारा सैद्धांतिक अनुमति के शर्तों के पालन में क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना एवं एना0व्ही0पी0 की राशि रु0 1926190/- का सगायोजन कैम्पा फण्ड एवं परियोजना में प्रभावित 172 नग वृक्षों के विदोहन व्यय की राशि 426358/- चालान क्र0-051/9999999/0405/76/22/000021 दिनांक 01.06.2022 को जमा कर दी गई है जिसका उल्लेख उक्त संदर्भित पत्र क्र0 (7) में भी किया गया है, एवं अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया गया था । पुनः उक्त संदर्भित पत्र क्र0-(1) में चाही गई शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन पुनः आपकी ओर प्रेषित है ।

उक्त संदर्भित पत्र क्र0-(1) के पैरा 2 के अनुसार प्रस्तावित भूमि में निर्माण कार्य में विलंब न हो इसके लिये Stage-II की अनुमति के पूर्व प्रस्तावित भूमि में निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है । इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र क्र0-6 एवं 8 के द्वारा पूर्व में भी वन मण्डलाधिकारी कटनी से प्रस्तावित भूमि में निर्माण कार्य किये जाने हेतु लेख किया गया है । चूंकि वर्तमान में अनुमति के अभाव में निर्माणाधीन कार्य बाधित हो रहा है । अतः अनुरोध है कि प्रस्तावित वन भूमि में कार्य करने एवं 172 नग वृक्ष काटे जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का कष्ट करें ।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

(पंकज व्यास)

कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि.रा.संभाग सागर

सागर दिनांक 03/10/2022

पृ. क्रमांक / 2852 / कार्य / 2022-23,
प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रा0रा0 परिक्षेत्र "निर्माण भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- 2- वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल कटनी म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 1- अनुविभागीय अधिकारी निर्माण विभाग रा0रा0 उपसंभाग छतरपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

कार्यपालन यंत्री

लो.नि.वि.रा.संभाग सागर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग
(पुरानी तहसीली के पास) संभाग सागर (म0प्र0)

Email:-eepwdnhsagar767@gmail.com phone no.:- 07582-222206 Fax No.-07582-222206

पत्र क्रमांक
प्रति,

2469 / कार्य / 2022-23

सागर दिनांक 19/9/2022

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध)

सतपुड़ा भवन

भोपाल (म0प्र0)

विषय:-

कटनी जिले में रा0रा0क्र0-43 (विस्तार) गुलगंज-अमागंज-पवई-कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 0.98 हे0 वन भूमि में कार्य करने एवं वृक्षों के विदोहन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने बावत् ।

सन्दर्भ:-

1-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक-6-MPB021/2019-BHO Date 21-06-2021

2- आपका पत्र क्रमांक-F-5/869/2019/10-11/2064 Dated 29-06-2021

3- वन मण्डलाधिकारी कटनी का पृ0क्र0/मा0चि0/3735/कटनी दिनांक 06.07.2021

4- इस कार्यालय का पत्र क्र0-1963/रा0रा0/ व0ले0लि0/सागर दिनांक 27.08.2021

5- इस कार्यालय का पत्र क्र0-3002/तक0/ 2021-22/सागर दिनांक 29.10.2021

6- इस कार्यालय का पत्र क्र0-1448/रा0रा0/ व0ले0लि0/2022-23 सागर दिनांक 01.06.2022

7- वन मण्डलाधिकारी कटनी का पृ0क्र0-मा0चि0/3402 कटनी दिनांक 10.06.2022

8- इस कार्यालय का पत्र क्र0-2427/कार्य/2022-23 सागर दिनांक 15.09.2022

XX

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑन लाइन प्रस्ताव क्र0-FP/MP/ROAD/35242/2018 कटनी जिले में प्रस्तावित रा0रा0 क्र0-43 (विस्तार) के चौड़ीकरण हेतु 0.98 हे0 भूमि के व्यवर्तन की सन्दर्भित पत्र क्र0 (1) के द्वारा सैद्धांतिक अनुमति के शर्तों के पालन में क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना एवं एन0व्ही0पी0 की राशि रू0 1926190/- का समायोजन केम्पा फण्ड एवं परियोजना में प्रभावित 172 नग वृक्षों के विदोहन व्यय की राशि 426358/- चालान क्र0-051/9999999/0405/76/22/000021 दिनांक 01.06.2022 को जमा कर दी गई है जिसका उल्लेख उक्त संदर्भित पत्र क्र0 (7) में भी किया गया है, एवं अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया गया है ।

उक्त संदर्भित पत्र क्र0-(1) के पैरा 2 के अनुसार प्रस्तावित भूमि में निर्माण कार्य में विलंब न हो इसके लिये Stage-II की अनुमति के पूर्व प्रस्तावित भूमि में निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है । इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र क्र0-6 एवं 8 के द्वारा पूर्व में भी वन मण्डलाधिकारी कटनी से प्रस्तावित भूमि में निर्माण कार्य किये जाने हेतु स्लेख किया गया है । चूंकि वर्तमान में अनुमति के अभाव में निर्माणाधीन कार्य बाधित हो रहा है । अतः अनुरोध है कि प्रस्तावित वन भूमि में कार्य करने एवं 172 नग वृक्ष काटे जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का कष्ट करें ।

कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग रा0रा0
संभाग सागर (म0प्र0)

सागर दिनांक

19/9/2022

पृ0क्र0/ 2470 कार्य / 2022-23
प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रा0रा0 परिक्षेत्र "निर्माण भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- 2- वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल कटनी म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 1- अनुविभागीय अधिकारी निर्माण विभाग रा0रा0 उपसंभाग छतरपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

कार्यपालन यंत्री

लोक निर्माण विभाग रा0रा0
संभाग सागर (म0प्र0)

D/प्रधान मुख्य संरक्षक कटनी

प्रथम स्टेज स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.	
1. The cost of compensatory afforestation on the CAland (2.00 ha DFL) at the prevailing wages rates as per compensatory afforestation scheme (including the coast of survey, demarcation land erection of permanent pillar etc. as requiredfor securingthe land againstencroachment)shallbedepositedinadvance with theStateForestDepartment bytheproject authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	Condition Accepted. The compliance to demand note given by DFO katni Vide Letter No. Man/3735/dt.06/07/2021 and as corrected by APCCF(LM) Bhopal has been made by depositing amount of Rs. 1496950.00 to Ad-hoc Campa fund by challan generated through e-portal with application No. 6135242744 dt. 10-07-2021
2. The state Government shall charge the Net Value (NPV) for the 0.98 Ha Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.-II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	Condition Accepted. The compliance to demand note given by DFO katni Vide Letter No. Man/3735/dt.06/07/2021 and as corrected by APCCF(LM) Bhopal has been made by depositing amount of Rs. 1496950.00 to Ad-hoc Campa fund by challan generated through e-portal with application No. 6135242744 dt. 10-07-2021
3. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Condition Accepted. rS. 1926190 has been deposited Ad-hoc Campa Fund as per Challan Dated 10-07-2021 & amount transferred on 22-07-2021 A/c no 150766135242744
4. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	Condition Accepted. uploaded in Parivesh Portal
5. The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite prior to Stage-II approval.	Condition Accepted. uploaded in Parivesh Portal
6. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of chapter 1 of the Handbook of	Condition Accepted.

Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	
7. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	Condition Accepted. Compliance uploaded in Parivesh Portal.

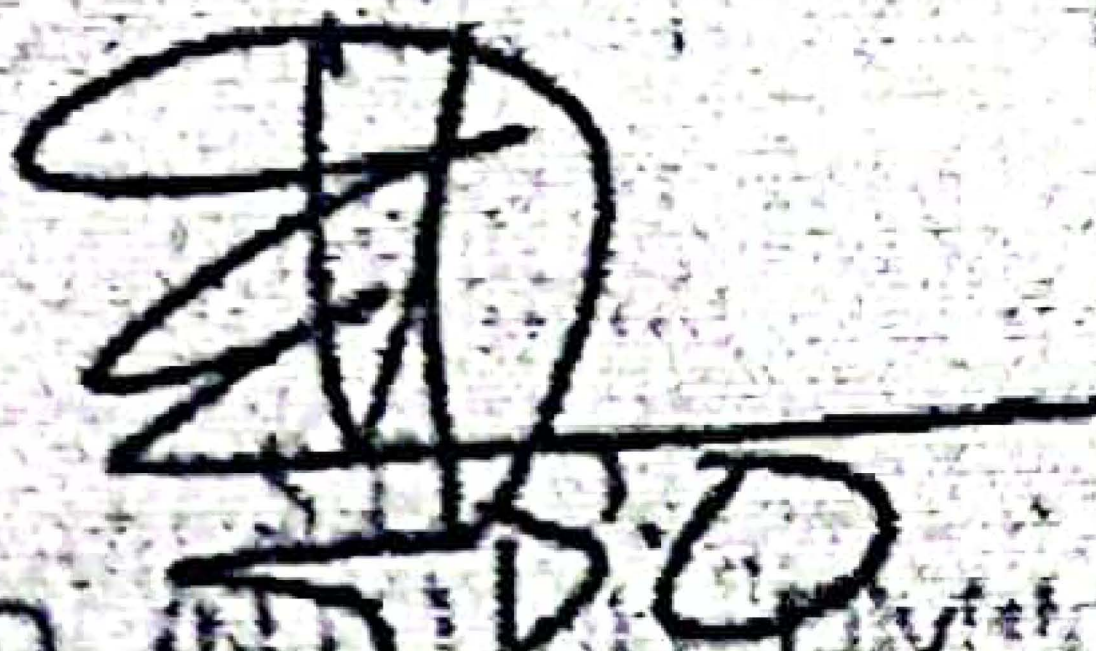
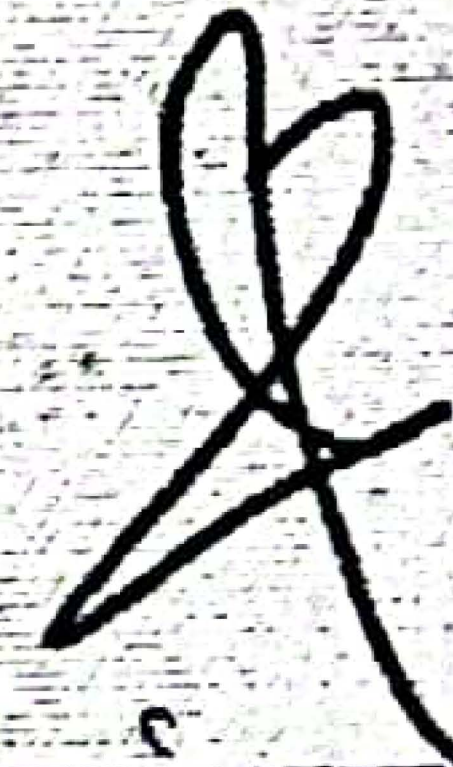
B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the user Agency by the state Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval.	
1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.	Condition Accepted.
2. Compensatory Afforestation shall be taken up by the Forest Department over 2.00 ha degraded forest land (Survey No. RF-89, Gram Panchayat – Kharkhari No. 1, Tehsil – Mudwara, District – Katni, Madhya Pradesh) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially nonnative species should be avoided.	Related to Forest Department.
3. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish undertaking to this effect.	Condition Accepted.
4. The state Government and user agency shall comply the provisions of the all Acts, Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project. If any, for the time being in force. as applicable to the project.	Condition Accepted.
5. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986. If applicable.	Not Applicable.

6. User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norm.	Condition Accepted.
7. User Agency shall provide suitable under pass/over pass for free movement of wildlife in and around the forest area in accordance to ecofriendly measures to mitigate impacts of linear infrastructure on wildlife (2016) as approved by CWLW of State Government.	Condition Accepted. Not Applicable
8. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest area, if applicable.	Condition Accepted.
9. User Agency shall restrict the felling of trees to 172 numbers / minimum number in the diverted Forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	Condition Accepted.
10. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of the concerned Divisional Forest Officer.	Condition Accepted.
11. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	Condition Accepted.
12. No Labour Camp shall be established on the forest land.	Condition Accepted.
13. The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the laborer's and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	Condition Accepted.
14. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	Condition Accepted.
15. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Condition Accepted.
16. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstance be	Condition Accepted.

वचन-पत्र

मैं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग-संभाग सागर
म0प्र0 यह वचन देता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 (विस्तार)
गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के कि0मी0 119+650 से 163+850 के मध्य
चौड़ीकरण हेतु क्षेत्रीय अधिकारी भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन,
मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्र0-6MPB021/2019-BHO दिनांक 21.06.2022
द्वारा प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें अधिरोपित शर्तों के
पालन हेतु लो0नि0वि0रा0रा0 संभाग सागर वचन बद्ध है।

म0प्र0 वन विभाग के द्वारा जो भी NPV राशि की मांग की जावेगी उसको
जमा करने के लिए यह कार्यालय वचनबद्ध है।


P.W.D. (N.I.D.) Divn.
Chhatrapur (M.P.)

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
सागर (म.प्र.)